लय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2026/40**
दायरा तिथि : 09.01.2026
आदेश तिथि : 25-02-26
प्रार्थी :–
सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा
जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2026/692**
दायरा तिथि : 11.11.2025
आदेश तिथि : 25-02-26
प्रार्थी :–
शंकरलाल पुत्र चमनाराम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली

प्रतिस्थापित

सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा
जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. ऐजी पुत्री रूपीराम रेबारी
2. ओबाराम पुत्र मोटाराम रेबारी
3. ओबाराम पुत्र मोटा रेबारी
4. केसाराम पुत्र रूपीराम रेबारी
5. जतनू पुत्री मोटाराम रेबारी
6. देवी पुत्री रूपीराम रेबारी
7. पीराराम पुत्र रूपीराम रेबारी
8. मीरा बाई पत्नी रूपीराम रेबारी
9. वागाराम पुत्र रूपीराम रेबारी
10. सवाराम पुत्र मोटाराम रेबारी
11. सविया पुत्र मोटा रेबारी
12. गमनाराम पुत्र चेनाराम मेगवंशी (फौत)
    अ. लक्ष्मण पुत्र स्व. गमनाराम
    ब सीता पुत्री स्व. गमनाराम
    स. मथरा देवी पत्नी स्व. गमनाराम
13. पुष्प कंवर पत्नी बहादुरसिंह जाति राजपूत
14. भेरूसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांकः 25-02-26

आदेश

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–प्रार्थी शंकरलाल पुत्र चमना राम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली द्वारा अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 856 रकबा 0.38 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर ग्राम

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2026/40 एवं प्रकरण GCMS NO 2025/692

अनवान सुरेश कुमार बनाम ऐजी वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

रघुनाथपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 861 रकबा 0.31 हैक्टर के खातेदार अप्राथी संख्या 01 से 11 की खातेदारी से होते हुये खसरा नंबर 860/1 रकबा 0.29 हैक्टर जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 12 में से एवं खसरा नंबर 857 रकबा 0.42 हैक्टर के खातेदार अप्रार्थी संख्या 13 व 14 है, में से रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्ष को नोटिस जारी करते हुये निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–12 को जारी नोटिस फौत होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से अप्रार्थी संख्या 12 के कायम मुकाम को नियमानुसार रिकॉर्ड पर लिया जाकर तलबी पूर्ण की गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार प्रार्थी सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली ने भी अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नंबर 854 में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से खसरा नंबर 855 रकबा 0.48 हैक्टर राजकीय सिवायचक भूमि में से नया मार्ग उपलब्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) सं"ोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 दिनांक 29.01.2026 को प्रस्तुत किया। जिस संबंध में भी निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा से रिपोर्ट तलब की गई। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा ने रिकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच कर निम्नासुार जांच रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 856 के खातेदार शंकरलाल द्वारा भूमि प्रार्थी सुरेश कुमार को बेचान कर देने से अब दोनों प्रकरणों में आवेदनकर्ता सुरेश कुमार ही रहा है। जिससे आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार प्रकरण संख्या 2025/692 में भी बतौर प्रार्थी सुरेश कुमार प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके साथ ही प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात है कि दोनों प्रकरणों में उपलब्ध कराये जाने वाले नये मार्ग का रूट एक ही है। जिससे सीपीसी की धारा 10 के प्रावधानों अनुसार दोनों प्रार्थना पत्रों अर्थात प्रकरण संख्या 2025/692 एवं प्रकरण संख्या 2026/40 बअनवान सुरेश कुमार बनाम राज्य सरकार वगैरा को कंसोलिडेट करते हुये एक साथ निर्णय पारित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। चूंकि प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है, लेकिन पास ही स्थित खसरा नम्बरान मे से आना जाना करता है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है।
3. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदित रास्ता ही आवागमन का इकलौता स्त्रोत है।
4. यह है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूतनम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।
5. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	रूघनाथपुरा	861	0.31 हैक्टर	नहरी अव्वल	48*09=432 वर्गमीटर	ऐजी पुत्री रूपीराम हिस्सा– 5/96 जाति रेबारी सा. देह वर्ग, खातेदार
2	रूघनाथपुरा	860/1	0.29 हैक्टर	नहरी अव्वल	56*09=504 वर्गमीटर	गमना पुत्र चेना हिस्सा– पूर्ण जाति मेगवंशी सा0 देह खातेदार
3	रूघनाथपुरा	857	0.42 हैक्टर	नहरी अव्वल	88*09=792 वर्गमीटर	पुष्प कंवर पत्नी बहादुरसिह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार भैरू सिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा– 1/2 जाति राजपुत सा0 देह खातेदार
	रूघनाथपुरा	855	0.48 हैक्टर	नहरी अव्वल	80*09=720 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

6. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 160000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
7. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2026/40 एवं प्रकरण GCMS NO 2025/692
अनवान सुरेश कुमार बनाम ऐजी वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 856 रकबा 0.38 हैक्टर एवं खसरा नंबर 854 रकबा 0.43 हैक्टर की भूमि आवेदक की खातेदारी भूमियां है, जिसमें आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तथा निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नये मार्ग का रूट खसरा नंबर 861, 860/1, 857 से होते हुये खसरा नंबर 856 प्रार्थी की खातेदारी भूमि से होकर खसरा नंबर 855 से खसरा नंबर 854 तक पहुंचने का मार्ग है। इस प्रकार मार्ग में पडने वाले खसरा नंबर 856 की खातेदारी प्रार्थी स्वयं की होने से उक्त खसरे से नया मार्ग उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। तथा निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा की रिपोर्ट में वर्णित रूट से खसरा नंबर 861, 860/1, 857, 855 में से नया रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है। प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 854 रकबा 0.4300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 861 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 860/1 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 857 रकबा 0.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 855 रकबा 0.48 हैक्टर में से **432+504+792+720=2448 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 160000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
861	0.31 हैक्टर	48*09=432 वर्गमीटर	16	6912X2=13824	ऐजी पुत्री रूपीराम हिस्सा– 5/96 जाति रेबारी सा. देह वर्ग, खातेदार वगैरा
860/1	0.29 हैक्टर	56*09=504 वर्गमीटर	16	8064X2=16128	गमना पुत्र चेना हिस्सा– पूर्ण जाति मेगवंशी सा0 देह खातेदार
857	0.42 हैक्टर	88*09=792 वर्गमीटर	16	12672X2=25344	पुष्प कंवर पत्नी बहादुरसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार भैरू सिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा– 1/2 जाति राजपुत सा0 देह खातेदार
855	0.48 हैक्टर	80*09=720 वर्गमीटर	16	11520X2=23040	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 78336/– (अक्षरे अठहत्तर हजार तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार...........04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2026/40 एवं प्रकरण GCMS NO 2025/692
अनवान सुरेश कुमार बनाम ऐजी वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 298-302

दिनांक : 25-2-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा जाति मीणा निवासी खिंदावी तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार	NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 13/02/2026 09:33:07 AM
तहसील : बाली	भू. अ. नि. क्षेत्र : बेड़ा
ग्राम : रूपनाथपुरा	

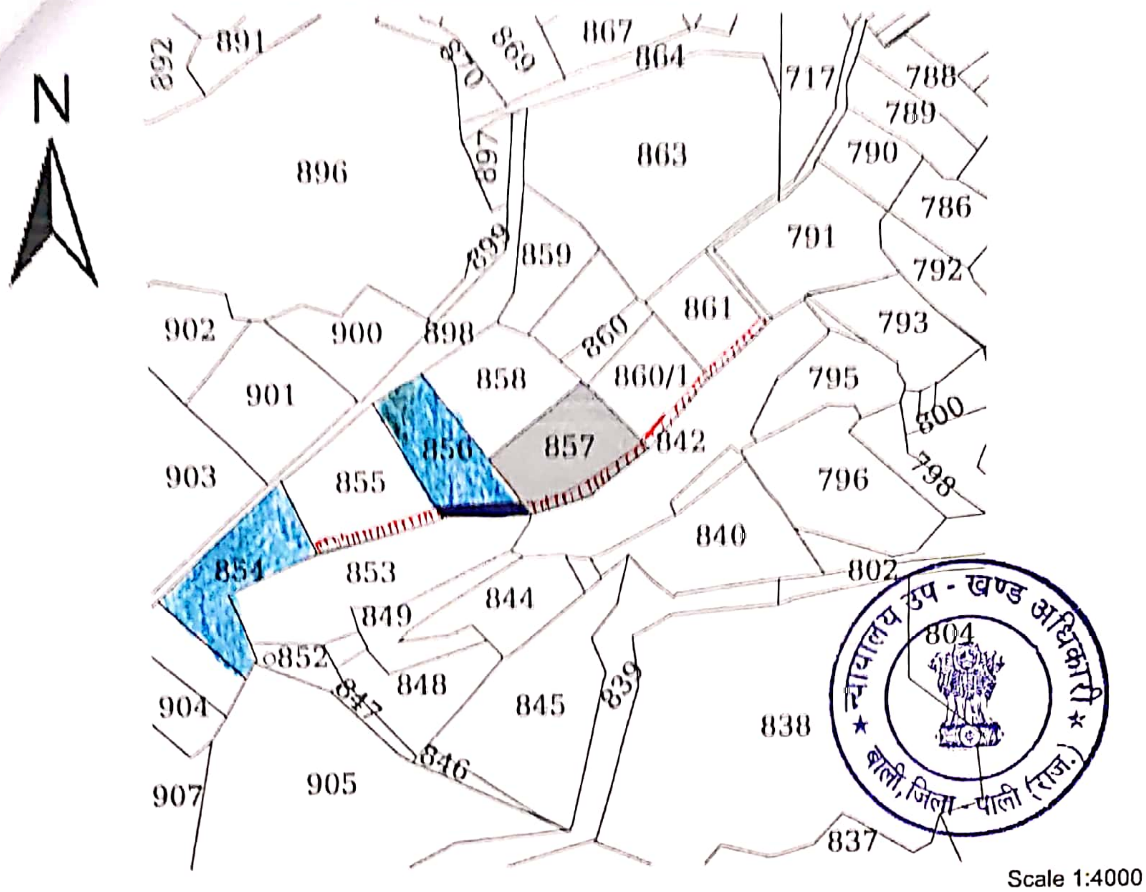

खसरा संख्या :857 क्षेत्रफल : 0.4200 Hectare खाता संख्या : 109पुराना खाता संख्या :110

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: नहरी अव्वल [0.4200, 8.82]

1.) पुष्प कंवर पत्नि बहादुरसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

2.) भैरु सिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी सं. 12 के कामु बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित है। आदेशिका दिनांक 17-12-25 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 11, 13, 14 भी बावजूद नोटिस तामील के आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र O-1, R-10 CPC स्वीकार करते हुये खरीददार सुरेश कुमार मीणा को प्रकरण में बतौर प्रार्थी प्रतिस्थापित किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा इस बाबत खरीददार का वकालतनामा व संशोधित शीर्षक भी पेश किया जा चुका है। चूंकि प्रकरण में R.I. बेडा द्वारा रिपोर्ट भी प्रकरण संख्या 2026/40 में पेश की जा चुकी है अतः वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात उक्त प्रकरण व इसके पश्चात प्रस्तुत प्रकरण संख्या 2026/40 को उक्त पत्रावली के साथ कंसोलिडेट करते हुये R.I. बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को अपनी धारित खातेदारी भूमि खसरा नं. 854 व 856 में आवागमन के लिये नया सेर्ड्ड रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। R.I. बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★	